न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 65 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. बच्चाखां पुत्र चैनाखां का.मु. 1 / 1पीरेखां पुत्र बच्चाखां 1 / 2हबीबखां पुत्र बच्चाखां 1 / 3रईसखां पुत्र बच्चाखां 1 / 4हैदर अली पुत्र बच्चाखां 1 / 5अमरी पत्नी बच्चाखां 2. पांधीखां पुत्र चैनाखां का.मु. 2 / 1ईशाखां पुत्र पांधीखां 2 / 2अलीखां पुत्र पांधीखां 2 / 3गोपेखां पुत्र पांधीखां 2 / 4मीरेखां पुत्र पांधी का.मु. 2 / 4 / 1अबसूखां पुत्र मीरेखां 2 / 4 / 2मुस्ताकखां पुत्र मीरेखां 2 / 4 / 3मिश्री पत्नी मीरेखां 2 / 5 करीमों पत्नी पांधीखां 3. रहीमखां पुत्र चैनारामखां कामु. 3 / 1खैरदीन पुत्र रहीमखां 3 / 2अलारखा पुत्र रहीमखां 3 / 3उनडखां पुत्र रहीमखां	1. मारकखां पुत्र आरबखां का. मु. 1 / 1अयबूखां पुत्र मारकखां 1 / 2पीरेखां पुत्र मारकखां 1 / 3अलीखां पुत्र मारकखां 1 / 4शकूरी पत्नी मारकखां 2. रमदानखां पुत्र आरबखां का. मु. 2 / 1फूसेखां पुत्र रमदानखां 2 / 2अलीखां पुत्र रमदानखां 2 / 3गुट्टेखां पुत्र रमदानखां 2 / 4रामत पुत्री रमदानखां 2 / 5धमू पुत्री रमदानखां 2 / 6इदी पुत्री रमदानखां 2 / 7मेनी पुत्री रमदानखां 2 / 8शमरों पत्नी रमदानखां 3. गफुरखां पुत्र आरबखां (स्व. आरबखां पुत्र चैनाखां के वारिसान) जाति मुसलमान निवासी कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

फौत के कायम मुकाम 3/3/1ईस्माईलखां पुत्र उनड़खां 3/3/2मोहम्मदखां पुत्र उनड़खां 3/3/3मतिदेवी पत्नी उनडखां 3/4कोजाखां पुत्र रहीमखां 3/5मु. मखणी पत्नी रहीमखां 4. रतनखां पुत्र चेनाखां का.मु. 4/1सुलेमान पुत्र रतनखां 4/2फुसाखां पुत्र रतनखां 4/3मीरखां पुत्र रतनखां 4/4जसूखां पुत्र रतनखां जाति मुसलमान निवासी कोलू तहसील बायतु जिला बाड़मेर	4. स्व. सदीक पुत्र चैनाखां का. मु. 4/1वलिया पुत्र सदीक पत्नी हुसैन जाति मुसलमान हाल निवासी कसुबला भाटीयान तहसील गिड़ा 4/2हनीफा पुत्री सदीक पत्नी पठान जाति मुसलमान निवासी कोलू तहसील बायतू जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु के राजस्व वाद संख्या 66/2013 बअनवान बच्चा खां बनाम मारक खां निर्णय दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मनीष पटेल, श्री अनिल राठी, श्री कैलाश एन सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सोहनलाल चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 04.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कोलु तहसील बायतु जिला बाड़मेर मं अपीलांट्स व उतरदातागण के संयुक्त स्वतः एवम कब्जा काश्त का खेत खसरा संख्या 281 रकबा 477.04 बीघा आया है। खेत खसरा संख्या 281 मौजा कोलु में स्व. चैना खां अपने छः पुत्रों क्रमशः आरब, रहीम, रतन, पांधी, सदीक व बच्चा खां के साथ रहता था। सुविधा की दृष्टि से बड़ी ढाणी बनाकर साथ रहते थे। गांव कोलु का भू—प्रबंध हुआ, उस समय चैना का बड़ा पुत्र उतरदाता संख्या 01 से 03 के पिता स्व. आरब खां ही परिवार का कर्ता था। उसने अपीलाधीन आराजी की पैमाईश कराई एवं भू—प्रबंध कर्मचारियों को प्रभावित कर खसरा संख्या 281 जो एक मात्र पक्षकारान के पूर्वज चैना खां का ही था के पर्चा लगान मे अपने पिता चैना खां का हिस्सा 1/2 व स्वयं का हिस्सा 1/2 लिखा दिया तथा ढाणी को भी दो भागों में विभक्त कर एक ढाणी अपने व दूसरी चैना खां के नाम दर्ज करा दी यह समस्त कार्यवाही उतरदाता संख्या 1 से 3 के पिता आरब खां जो चैना खां का बड़ा पुत्र था। अपीलाधीन आराजी पर स्व. चैना खां के जीवनकाल मे ही समस्त छः भाई बराबर हिस्से पर काश्त करते थे एवं आज भी पक्षकार प्रत्येक हिस्सा 1/6—1/6 पर काबिज है। पक्षकार मुस्लिम विधि से शासित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नहीं आया है। जिससे ज्ञात हो कि स्व. चैना खां ने दान पद्वति से आराजी का हिस्सा 1/2 अपने पुत्र आरब खां को दिया है। जिससे ज्ञात हो कि स्व. चैना खां ने दान पद्वति से आराजी का हिस्सा 1/2 अपने पुत्र आरब खां को दिया है। और अन्य कोई विधि नहीं है जिस अनुसार एक पुत्र को खेत का हिस्सा 1/2 दिया जाय व शेष हिस्सा 1/2 पांच पुत्रों के लिये रखा जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2016 विधि के सिद्धान्तों से परे जाकर पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। अपील में उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात दिनांक 02.04.2019 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2019 के विरूद्ध उतरदाता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील/टी.ए./2449/2019/बाड़मेर पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 14.06.2022 को निर्णय पारित करते हुए हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2019 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण हाजा न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांटस संख्या 01, 02 व 3/3 तथा उतरदाता संख्या 2 फौत हो चुके है। उपरोक्त फौत पक्षकारों के कायम मुकाम की सूची पत्रावली पर पूर्व में ही अपीलांटस अधिवक्ता द्वारा पेश की जा चुकी है। उपरोक्त पक्षकारों के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लेने बाबत उतरदाता द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गई लिहाजा न्यायहित में अपीलांटस संख्या 01, 02 व 3/3 तथा उतरदाता संख्या 02 के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिया जाता है। संशोधित शीर्षक पूर्व मे ही पेश किया जा चुका है जो रिकॉर्ड पर मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। अपील में उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात दिनांक 02.04.2019 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय दिनांक 02.04.2019 के विरूद्ध उतरदाता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील/टी.ए./2449/2019/बाड़मेर पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 14.06.2022 को निर्णय पारित करते हुए हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2019 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण हाजा न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। स्वर्गीय चैना खां और उसके 6 पुत्रों का वक्त बन्दोबस्त संयुक्त परिवार था तथा उतरदाता संख्या 01 से 03 का पिता आरब खां ज्येष्ठ पुत्र था स्वर्गीय चैना खां वृद्ध होने के कारण परिवार का प्रधान आरब खां था उसी ने भूमि की पैमाईश कराकर रेकर्ड में आराजी का खातेदारी हिस्सा 1/2 अपने नाम व शेष 1/2 हिस्सा अपने पिता चैना खा के नाम दर्ज कराया तथा ढाणी खसरा संख्या 278 अकेले चैना खां के नाम कराई। चैना खां का देहान्त हुआ तब उसके पांच पुत्रों के नाम नामान्तकरण स्वयं आरब खां ने ही खुलवाया व अपना हिस्सा 1/2 सुरक्षित रखने हेतु उस विरासत के नामान्तकरण में अपने नाम का अंकन नहीं कराया। पक्षकार मुस्लिम विधि से शासित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नहीं आया है, जिससे ज्ञात हो कि स्व. चैना खां ने दान पद्वति से आराजी का हिस्सा 1/2 अपने पुत्र आरब खां को दिया है। और अन्य कोई विधि नहीं है जिस अनुसार एक पुत्र को खेत का हिस्सा 1/2 दिया जाय व शेष हिस्सा 1/2 पांच पुत्रों के लिये रखा जावे। मूल वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात का गलत रूप से विवेचन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पदस्थापित पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के बाद निर्णय पारित किया है जिसका कोई पत्रावली में कारण उल्लेख नहीं किया है जबकि नैतिकता के नाते पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के बाद तारीख पेश बदलने की आदेशिका में भी यह हवाला देता है कि पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से प्रकरण में महत्वपूर्ण कार्यवाही संभव नहीं है। इस लिए अपीलाधीन आदेश विधि का उल्लंघन एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार अथवा पैतृक सम्पति की कल्पना नही की गई है उन्होने मौखिक साक्ष्य के स्थान पर भू–प्रबंध रेकर्ड का सहारा लेकर खतौनी बन्दोबस्त दो ढाणीयां खसरा संख्या 279 व 278 है तथा रेकर्ड खातेदारी में एक ढाणी आरब खां के नाम व दुसरी ढाणी चैना खां के नाम से है और जब रेकर्ड से दोनो का वक्त बंदोबस्त पृथक –पृथक आवास साबित है तो मौखिक कथन की समस्त पक्षकार वक्त बन्दोबस्त एक ही परिवार में रहते थे मान्य नही है यह भी स्पष्ट है की इस खेत का पर्चा लगान चैना खां का 1/2 हिस्सा व आरब खां का 1/2 हिस्सा दर्ज होने का ज्ञान अपीलांटगण को उसी समय ज्ञात हो गया था परन्तु उस समय कोई आपति न करने का अर्थ है कि वे इससे सहमत थे और स्वर्गीय चैना खां की फौतगी पर खोले गये विरासत के नामान्तकरण में उसके पुत्र आरब खां के नाम का दर्ज न होने का कारण है कि आरब खां भू–प्रबंध से पूर्व ही अपने पिता से अलग रहता था पिता व पुत्र ने शामलाती रूप से वादग्रस्त आराजी अर्जित की थी इसलिए हल्का पटवारी ने उन्ही पुत्रों के पक्ष में विरासत का नामान्तकरण खोला जो चैना खां के साथ रहते थे। अपीलांटगण द्वारा लगाये गये सभी आरोप बेबुनियाद एवं आधार हीन है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा मेरी अपील में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2022 में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विस्तृत विवेचन करते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिए प्रकरण का अंतिम निस्तारण माननीय न्यायालय को ही करना है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। अपील में उभयपक्ष की सुनवाई के पश्चात दिनांक 02.04.2019 को निर्णय पारित करते हुए अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2019 के विरूद्ध उतरदाता द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील/टी. ए./2449 /2019/बाड़मेर पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 14.06.2022 को निर्णय पारित करते हुए हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2019 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण हाजा न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा हाजा न्यायालय को निर्देशित किया गया कि मृतक पांधी खां के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेकर एवं उभयपक्षकारान को सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण में फौत पक्षकारों के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु आवेदन पेश किये गये जिसे स्वीकार किया जाकर वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। मुस्लिम विधि में संयुक्त परिवार अथवा पैतृक सम्पति की कल्पना नहीं की गई है उन्होंने मौखिक साक्ष्य के स्थान पर भू प्रबन्ध रेकर्ड का सहारा लेकर प्रकट किया कि खतौनी की बन्दोबस्त प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि इस अपीलाधीन आराजी में वक्त बन्दोबस्त दो ढाणीयां खसरा संख्या 279 व 278 है तथा राजस्व रैकर्ड खातेदारी में एक ढाणी आरब खां के नाम व दूसरी ढाणी चैना खां के नाम से है और जब रैकर्ड से दोनों का वक्त बंदोबस्त पृथक पृथक आवास साबित है तो मौखिक कथन की समस्त पक्षकार वक्त बन्दोबस्त एक ही परिवार में रहते थे मानने योग्य नहीं है। अपीलाधीन आराजी का पर्चा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लगान जारी हुआ उसमें 1/2 हिस्सा चैना खां का व 1/2 हिस्सा आरब खां का पृथम–पृथक वक्त सेटलमेंट से ही दर्ज हुआ है। पत्रावली पर पेश प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 व प्रदर्श–3 से स्पष्ट है कि इस आराजी में चैना खा व आरबखां की पृथक–पृथक ढाणी है व वादग्रस्त खेत दोनों का बहिस्सा बराबर दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में दावे एवं जबाव दावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई तथा निर्णय भी साक्ष्य लेकर तनकीवार पारित किया गया। अधीनस्थ न्रूायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में वाद विचारण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही का पालन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया। हस्तगत प्रकरण में कायम तनकीयात का पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजात के अनुसार सही विवेचन किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन, तथ्यों तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2022 में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटस की अपील को खारिज करना उचित होगा।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 66/2013 बअनवान बच्चा खां वगै. बनाम मारक खां वगै. में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.06.2016 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर